संख्या–569/33–3–2015–279/2014

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2. निदेशक,
पंचायती राज,उ0प्र0, लखनऊ

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 26 फरवरी, 2015

विषय : राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में तकनीकी एवं प्रशासनिक सहायता के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से पंचायत सहायकों की सेवाएं लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों की क्षमतावृद्धि के उद्देश्य से राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को तकनीकी एवं प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराने के दृष्टिगत शासन द्वारा 3 से 4 ग्राम पंचायतों के क्लस्टर पर एक पंचायत सहायक के आधार पर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कुल 16,432 पंचायत सहायकों की सेवाएं दिये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त पंचायत सहायकों की सेवाएं आउटसोर्सिंग के माध्यम से ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जायेंगी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक जनपद में ग्राम पंचायत अधिकारियों तथा ग्राम विकास अधिकारियों के कुल पदों के योग की संख्या के आधार के अनुसार पंचायत सहायकों की सेवाएं निम्नलिखित रूप से ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जाएः–

शैक्षिक योग्यता व अनुभव

(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक

(2) NIELIT (पूर्व में डोयेक) से C.C.C. प्रमाण–पत्र

(3) ग्रामीण/पंचायत/लेखा में डिग्री/डिप्लोमा एवं पंचायतों से सम्बन्धित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव प्राप्त को वरीयता दी जायेगी।

मानदेय

आउटसोर्सिंग एजेन्सी को प्रति पंचायत सहायक रू0 10,000/– प्रतिमाह (सभी कर एवं शुल्क व सर्विस चार्ज सहित) की दर से मानदेय के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

दायित्व

पंचायत सहायक द्वारा निम्नलिखित दायित्वों का निर्वाह किया जायेगाः–

183

1. ग्राम पंचायत के अभिलेखों/लेखों के रख–रखाव में ग्राम पंचायत सचिव की सहायता।
2. ग्राम पंचायत के नियामक कार्यों के निष्पादन में ग्राम पंचायत सचिव की सहायता।
3. नियोजन, कार्यान्वयन और ग्राम पंचायतों की योजना की रिपोर्टिंग में सहायता।
4. ग्राम पंचायत की परियोजनाओं/कार्य/योजनाओं का ब्यौरा एवं रिकार्ड बनाये रखने में सहायता।
5. ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव की सहायता।
6. ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की बैठक कराने में सहायता।
7. ग्राम पंचायतों की सम्पत्तियों के रख–रखाव में सहायता।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कार्य एव दायित्व।

चयन प्रकिया

जनपद स्तर पर खुली निविदा से आउटसोर्सिंग के आधार पर ह्यूमन रिर्सोस सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से पंचायत सहायकों पर तैनाती की कार्यवाही निम्नलिखित रूप से गठित समिति द्वारा की जायेगी–

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	जनपद से सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक(पं0)	सदस्य
4.	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य/सचिव
5.	जिलाधिकारी द्वारा नामित उ0प्र0लेखा सेवा का एक अधिकारी	सदस्य
6.	डिस्ट्रिक इन्फारमेटिक्स आफिसर, एन.आई.सी.।	सदस्य

चयन समिति द्वारा आउटसोर्सिंग एजेन्सी के चयन हेतु विज्ञापन/बिड डाक्यूमेन्ट, सक्षम एजेन्सियों को इम्पैनल्ड करना तथा एजेन्सी द्वारा भेजे गये रिर्सोसेज का साक्षात्कार/क्षमता परीक्षण करने आदि का कार्य किया जायेगा।

पंचायत सहायकों के चयन में आरक्षण के नियमों का पालन किया जायेगा तथा चयन/तैनाती में यथासम्भव स्थानीय व्यक्ति को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

इन पंचायत सहायकों को ग्राम पंचायत सचिव क्षेत्रों में आवंटित करने का कार्य जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

आउटसोर्सिंग एजेन्सी के बिल का भुगतान–

आउटसोर्सिंग एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल का भुगतान जनपद से रिर्सोसेज की परफारमेन्स शीट के अनुसार जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आउटसोर्सिंग एजेन्सी से इस आशय का प्रमाण–पत्र कि सभी रिर्सोसेज को गत माह का भुगतान किया जा चुका है, प्राप्त होने पर प्रत्येक माह सम्बन्धित रिर्सोसेज की परफारमेन्स शीट के अनुसार जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त आउटसोर्सिंग

एजेन्सी को किया जायेगा। इस हेतु निदेशक, पंचायती राज द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारियों को यथावश्यक धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी।

अतः उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार तत्काल कार्यवाही करते हुए ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की तैनाती सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव

संख्या– /1/33–3–2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
2. मण्डलीय उपनिदेशक(पंचायत), उ0प्र0।
3. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव